फर्द अहकाम

कालूराम बनाम हनुमान वगै०
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
166/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण को बार-बार आवाज लगाई गई तथा इन्तजार किया गया, लेकिन उप० नहीं। अतः प्रतिवादी नं० 1 ता 4 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 05/11/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
05/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस को मनन किया गया, अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।	

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
166 / 2023	20 / 11 / 2023	05 / 11 / 2024

1. कालूराम पुत्र स्व0 श्री जगदीश
2. नाथी देवी पत्नि स्व0 श्री जगदीश
3. सुरेश पुत्र स्व0 श्री जगदीश
4. विनोद पुत्र स्व0 श्री जगदीश
5. वंशीधर पुत्र स्व0 श्री जगदीश

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम चावण्ड का मण्ड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र नाथूलाल
2. गणेश पुत्र नाथूलाल
3. रामू पुत्र नाथूलाल
   समस्त जाति महावर निवासी ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. अचरोल गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड संयोजक शंकरलाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री बोदूराम शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम चावण्ड का मण्ड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
5. सरकार जरिये तहसीदार महोदय, जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

6. प्रभू पुत्र गंगाराम जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम चावण्ड का मण्ड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री किशन लाल :– वकील वादीगण।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादीगण की ओर से एड0 श्री किशन लाल ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादीगण के स्वामित्व खातेदारी एवं कब्जेशुदा भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 104 रकबा 0.7500है0 वाके ग्राम चावण्ड का मण्ड पटवार हल्का सायपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। वादीगण अपने स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि पर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज होकर निरन्तर काश्त

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

करता चले आ रहे है। एवं मौके पर काबिज है एवं लगान राज्य सरकार को शामिलात में अदा करते चले आ रहे है। भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 104 के लगवा ही उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 106 रकबा 0.0200है0 खसरा नम्बर 107 रकबा 0.7600है0 है एवं दोनो एक ही सीमाजोड है। वादीगण के स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि से प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 का कोई लेना देना नही है। एवं खसरा नम्बर 106, 107 के मूल खातेदार नाथूलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 है। प्रतिवादी सं0 4 सोसायटी है एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 प्रतिवादी सं0 4 से मिलकर खसरा नम्बर 106 व 107 की आड में वादीगण के स्वामित्व की भूमि पर जबरन कब्जा कर पैसे व लाठी की ताकत के बल पर वादीगण के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करने एवं उस पर भूखण्ड काटने पर आमादा है। भूमि खसरा नम्बर 106, 107 के संबंध में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय प्रथम के यहां रेफरेन्स विचाराधीन है एवं भूमिवादग्रस्त के आसपास का क्षेत्र इकोलोजिकल क्षेत्र में आता है। अतः प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह सीमाजोड का फायदा उठाकर वादीगण के स्वामित0 एवं खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 0.7500है0 वाकै ग्राम चावण्ड का मण्ड पटवार हल्का सायपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में वादीगण के स्वामित्व की भूमि का अपनी बताते हुये उस पर जबरन पुख्ता निर्माण कार्य न करे, वादीगण के स्वामित्व की भूमि के सीमाजोड पर कोई आवासीय कॉलोनी विकसित नही करें। वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें। ऐसा कोई भी अवैधानिक कृत्य न करे, जो कि वादीगण के हक व अधिकारों के विपरित हो तथा उक्त समस्त कार्य ना तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी से करावें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। प्रतिवादीगणों को दिनांक 04.11.2024 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण की बहस सुनी गई।

अतः वकील वादीगण की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम चावण्ड का मण्ड, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 104 रकवा 0.7500है0 में वादीगण के स्वामित्व की भूमि पर जबरन पुख्ता निर्माण कार्य न करे, वादीगण के स्वामित्व की भूमि के सीमाजोड को नही तोडे। वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें। ऐसा कोई भी अवैधानिक कृत्य न करे, जो कि वादीगण के हक व अधिकारों के विपरित हो तथा उक्त समस्त कार्य ना तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी से करावें तथा वादीगण की आराजी में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 05/11/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ